

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

23.6.17

पत्रावली न्हें व्हेंप व्हांवत व्हांवत परपेश।
पत्रावली अलग्गें अ लिखत व्हांवत व्हांवत शामिल पत्रावली
लिखात व्हांवत।

पत्रावली दिशत सुमार व्हांवत व्हांवत अ
व्हांवत व्हांवत।

३

प्रकरण संख्या :- 237/2017

1. देवा पिता कालू जाट, निवासी कारोई, तहसील व जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. उदयराम पिता भोला कुमावत, निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा।
2. ज्ञानमल पिता कन्हैयालाल खटीक, निवासी कारोई, तहसील व जिला भीलवाडा।
3. जमना लाल पिता प्यारचन्द कुमावत, निवासी कारोई, तहसील व जिला भीलवाडा।
4. नन्दराम पिता मोहन जाट, निवासी कारोई, तहसील व जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 23.06.2017

प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू-राज. अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 17.04.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कारोई, पटवार हल्का कारोई, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 4840/2 रकबा 02-12 बीघा, कुल किता 01 कुल रकबा 02-12 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रसंगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगडी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगडी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगडी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेश नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम कारोई, पटवार हल्का कारोई, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 4840/2 रकबा 02-12 बीघा, कुल किता 01 कुल रकबा 02-12 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगडी उक्त आराजी में फसल कट जाने के तुरंत 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकारान की उपस्थिति में करा देंगे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 600/- अक्षरे छह सौ रुपये बतौर कार्य सहायक मद में राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रुपये संबंधित गिरदावर कारोई को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगडी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 23.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

(रेणु मीना आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
भीलवाडा